बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.10

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

निगरानी प्र.क्र. /16–17

R 614-I/17

तुलसिया तनय कन्नू काछी आयु 70 साल निवासी ग्राम भेलसी तहसील बल्देवगढ़ जिला–टीकमगढ़ म0प्र0

.....निगराकार/आवेदक

बनाम

मध्यप्रदेश शासन

........प्रतिनिगराकार/अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा– 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

निगरानी प्रतिकूल विद्वान अधिनस्थ न्यायालय कलेक्टर महोदय टीकमगढ़ के राजस्व प्र.क्र. 63/स्व./निग./99–2000 मे पारित आदेश दिनांक 16.10.2000 के विरूद्ध जिसमे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक के पीठ पीछे आदेश पारित किया से क्षुब्ध होकर

महोदय,

निगरानी का संक्षिप्त सार निम्न प्रकार है–

1 यह कि आवेदक को (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के प्रावधानो के अन्तर्गत प्र.क्र. 484/अ–19 (4) 95–96 मे पारित आदेश दिनांक 30.08.1997 के द्वारा खसरा नंबर 1694/2 जुज रकवा 0.724 हे0 का व्यवस्थापन समस्त जांच बाद पट्टा प्रदाय किया गया था, उसके पट्टा दिनांक के पूर्व से व आज दिनांक तक मौके पर निगराकार काबिज है एवं कृषि को काबिल कास्त बनाया गया है, मौके पर इमारती एवं फलदार बृक्ष खडे हुये है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधान के विपरीत निगराकार का पट्टा निरस्त कर दिया गया है जिसकी जानकारी आवेदक को नही दी गई जानकारी होने पर यह निगरानी प्रस्तुत करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई।

निगरानी के प्रमुख तथ्य निम्न प्रकार है–

1 यह कि विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश विधि तथ्यो एवं वास्तविक दस्तावेजो व नियम कानून के विपरीत है, जिसमे प्राथमिक रूप से कानूनी भूल दृष्टिगोचर होती है।

2. यह कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय टीकमगढ़ के प्रतिवेदन पर विशेष उपबंध के तहत पारित आदेश को स्वमेव निगरानी मे लिया गया है जबकि संहिता के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी को उक्त प्रकार का प्रतिवेदन देने के अधिकार प्राप्त नही है और न ही अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन पर स्वमेव निगरानी प्रचलित किये जाने के प्रावधान है, जिस कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्ती योग्य है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-614-एक/2017 जिला टीकमगढ़ तुलसिया विरूद्ध म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह कलेक्टर टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 63/स्व.निग./1999-00 में पारित आदेश दिनांक 16-10-2000 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 18-04-2019 को आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के. जैन) सदस्य	25/2/2019